

(Annexure-1)

Name of the Society/Trust
promoting the University

XXX-Pan

का क्रमांक 4

प्रमाणित किया 12

मध्यप्रदेश शासन



7/21/14

23/5/2014

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक/दिनांक 6779 25/02/1999

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति श्री गुरु हरगोविन्द सोसायटी भोपाल स्थित है हुकूमतहसील में भोपाल जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह गुरु हरगोविन्द सोसायटी भोपाल 13, लाला लाजपतराय कालोनी, रायसेन रोड, भोपाल नाम से मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन पंजीयत की गई है ।

दिनांक तेईस माह ..मई सन् 2014



हरीश सिंह
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार

समितियों के रजिस्ट्रार

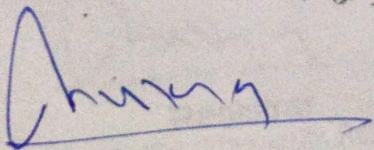
संशोधित नियमावली

483/12
12/5/12

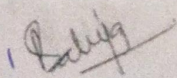
1. समिति का नाम : गुरु हरगोविंद सोसायटी ।
2. समिति का कार्यालय : 13, लाला लाजपतराय कालोनी, रायसेन रोड,
तह. हुजूर, जिला- भोपाल, म.प्र.
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :
 1. अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा बौद्धिक उत्थान के लिए प्रयास करना।
 2. महिला वर्ग में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।
 3. शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
 4. व्यवसायिक व रोजगारमुखी तकनीकी शिक्षा की उन्नति व प्रसार कार्य करना।
 5. अपंग, असहाय, निर्धन तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अस्पताल, खोलने हेतु प्रयास करना।
 6. विश्व बन्धुत्व की भावना के प्रयास हेतु प्रयत्न करना।
 7. प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को शिक्षित करना व सिलाई, कढ़ाई केन्द्र खोलना।
 8. ऐसे अन्य कार्य करना जो समिति के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों।
 9. आयुर्वेद औषधि हमारी प्राचीन प्रणाली है। यह औषधि की सबसे प्रकृति उन्मुख और सुरक्षित मार्ग है यह माँ प्रकृति के साथ लाइन में आती है और इस लाइन की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस हेतु जनमानस को शोध कार्य एवं जागरूक करना।
 10. अन्य औषधि के अन्य मार्ग मानव शरीर पर दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं और वह प्राकृतिक रूप से भी उपचारात्मक नहीं हैं। मानव बृहन्नाड, मानव स्वास्थ्य की भलाई के लिये इस पुरातन आयुर्वेद व्यवस्था को देख रहा है इस हेतु प्रयास करना।
 11. हम भाग्यशाली हैं की हम आयुर्वेद की उत्पत्ति के देश से है यह वह स्थान है जहाँ दवा का यह मार्ग उत्पन्न हुआ एवं इस पर शोध कर विकसित और स्थापित करने हेतु महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित कर जनमानस को जागरूक करना।
 12. आयुर्वेद औषधि के विकास में योगदान करना और इस प्रकार हम वहीं आयुर्वेद दवा के रास्ते को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करना।
 13. आयुर्वेद के विकास हेतु संस्था के सैम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्स एवं हॉस्पिटल को अस्तित्व में लाना एवं मानव समाज की सेवा करना।

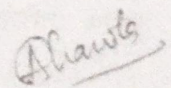
5. सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) संरक्षक सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 10,000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।



Registrar
C.M. Global University, Raipur





- (ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 5,000/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5,000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
- (स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रुपये 2000/- प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोष जनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
- (द) सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती हैं। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन-पत्र प्रबन्धकारणी समिति को प्रस्तुत करना होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

- (अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो
(ब) भारतीय नागरिक हो।
(स) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
(द) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

6229
12/12/99
A/112

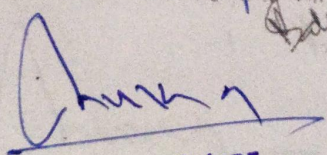
8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी

- (1) मृत्यु हो जाने पर।
(2) पागल हो जाने पर
(3) समिति को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
(4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार हो जाने पर।
(5) चारित्रिक दोष होने पर अथवा समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण अथवा बहुमत से हटाये जाने पर।

9. संस्था कार्यालय में सदस्यता पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
(4) सदस्यों के दिनोंक सहित हस्ताक्षर हो।

10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा स्थान व समय की सूचना कार्यकारणी समिति


Registrar
Chandigarh University, Raicson

निश्चित कर 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवित् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवित् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक वर्ष में कम से कम अवश्य होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषयों पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

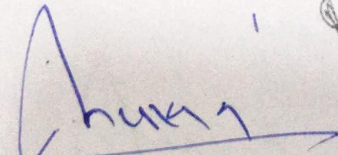
11. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

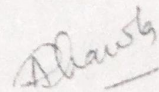
- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था के स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ.ब.स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) सचिव (3) कोषाध्यक्ष (4) सदस्य-2

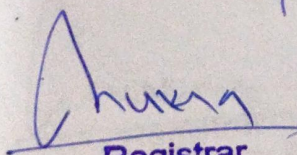
13. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :- प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा में करना अनिवार्य होगा।

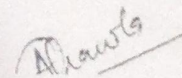

Registrar
CMI Global University, Raipur



प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- (ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।
- (च) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी।
- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर, साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में सदस्य कुल 2/3 मतों से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
15. **अध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णायक होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति में उपस्थित सदस्य अपने में से बहुमत से किसी भी सदस्य को उस दिन की कार्यवाही हेतु अध्यक्ष बना सकेंगे।
16. **सचिव के अधिकार :-**
- (1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र और सुझाव जो प्राप्त हों, प्रस्तुत करना।
- (2) संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से पहले प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
- (3) (अ) समिति के सभी कागजातों को तैयार करना या करवाना। उसका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
(ब) प्रबंध समिति की ओर से जब तक प्रबंध समिति किसी अन्य सदस्य को निर्देशित नहीं करे समस्त कार्य सचिव के द्वारा किये जावेंगे।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 5,000/- खर्च करने का अधिकार होगा।
17. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना होगा।
18. **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेंगी। धन का आहरण सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।


Registrar
CMM Global University, Raisen



20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।
21. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
22. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।
23. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेंगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।
24. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेंगी।
25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
26. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार को विवाद के निर्णय के लिए भेजू सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संवर्धित सभाओं के विवाद अर्थात् प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

//

Minister

12/5/17

A. Hanote

Registrar
C.G. Global University, Raipur